15.28 HRS.

UTTAR PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1968*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT): On behalf of Shri Morarji Desai, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69."

The motion was adopted.

SHRI K.C. PANT: I introduce† the Bill.

I beg to move†:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69 be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Mr. Shiv Charan Lal.

SHRI A. S. SAIGAL (Bilaspur): No discussion now.

MR. CHAIRMAN: He can speak with the permission of the Chair.

It was granted by the Deputy Speaker. He had given previous notice of this.

MR. SHIV CHARAN LAL: The Hon. Member may not take much time because we are pressed for time.

श्री शिवचरण लाल (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं खाली दो मुद्दों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं । गृह मंत्री हमारे सामने हैं। जिला आगरा में थाना फिरोजाबाद ग्राम तोतलपुर और सोफीपुर में वहां की मौजूदा पुलिस ने निषादों के साथ ऐसा जुल्म ढाया है जैसा कि इतिहास में कभी नहीं हुआ, शायद अंग्रेजों की पुलिस ने भी वैसा अत्याचार न किया होगा। 36 घंटों तक बेरहमी के साथ 11 मकानों की लूट की गई, महिलाओं के साथ दुर्व्यहार और भ्रष्टाचार तक किया गया, पुख्ता मकानों को धरा शायी किया गया। लाखों रुपयों की सम्पत्ति को लूटा और बरबाद किया गया, हरी भरी फसलों को उजाड़ कर तहस नहस किया गया। जो कृषि यन्त्र सिंचाई के थे पम्पिंग सेट और मशीनें उन को नष्ट किया गया। बैलों की कुट्टी की मशीनों को भी नहीं छोड़ा गया। 1100 मन गल्ला किसानोंका पुलिस ने लूटा और आम रास्ते पर 20 रुपये मन के हिसाब से बेच दिया और उधार तक दिया। सैकड़ों रुपये तोले के सोने के जेवरात और चांदी की चीजें भी पुलिस लूट कर ले गई। जो मशीन चलाने वाली लकड़ियां थीं उन को भी खोद खोद कर लूट ले गई। जीवनोपयोगी वस्तुयें जैसे चाकी चूल्हे, खिड़कियां, किवाड़े तक उखाड़ कर ले गई । उत्तर प्रदेश में पुलिस की यह बर्बरता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। एक कवि का शेर सुनिये :—

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, Dated 27-8-68.
†Introduced/moved with the recommendation of the President.

"काम की उल्टी आज है बोली,
मुख से अहिंसा हाथ से गोली।

नरम जबां और पत्थर दिल है,
मुख से करघा हाथ में मिल है।
जनवादी बस नाम हुआ है,
तानाशाही काम हुआ है।"

सैकड़ों रुपयों के पुराने चांदी के सिक्के और हजारों रुपयों के नोट पुलिस लूट कर ले गई। इस के खिलाफ 12 तारिख से 71 व्यक्ति आमरण अनशन कर रहे थे। कल हमारे अध्यक्ष श्री जोशी ने और श्री शुक्ल ने आश्वाशन दिया कि इस की न्यायिक जांच करवाई जायेगी और कहा कि अनशन तुड़वा दिया जाये तो अच्छा है। मैं मांग करता हूं कि इस काण्ड की न्यायिक जांच इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी जज द्वारा हो और इस काण्ड के लिये जिम्मेदार जो पुलिस अधिकारी, एस पी, आदि हों उन को तुरन्त निलम्बित किया जाये या उन को आगरे से हटाया जाये। पीड़ित परिवार के लोगों की, जिन की सम्पत्ति की लूट हुई है, सम्पत्ति वापस दिलाई जाये और उन की जो क्षति हुई है उस के लिये उन को तत्काल मुआवजा दिया जाये। साथ ही पीड़ित परिवार वालों के विरुद्ध जो अभियोग हैं उन को वापस लिया जाये। हमारे जिला आगरा में इस तरह की घटना हुई है।

इसी तरह से छाता में हुआ, बलिया में हुआ, गोंडा में हुआ। वहां पर भी पुलिस के जरिये होने वाले जुल्म सीमा पार कर चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इस तरह से मैं अपने गृह मंत्री से अपनी बात नहीं कह सकता तो फिर क्या किसी दूसरी जगह जा कर और दूसरी सभा में अपनी बात कहूंगा? इस तरह चीजें से आज जनतन्त्र यहां पर चलाया जा रहा है, डुबाया जा रहा है और पुलिस की बर्बरता बढ़ती चली जा रही है।

इसी तरह से हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। एक और दरख्वास्त मैंने उन को दी है और कहा है कि आगरा, अलिगढ़, बुलन्दशहर और गोंडा में हरिजनों पर जो अत्याचार हुआ है उस की जांच की जानी चाहिये। साथ ही जो भी अधिकारी दोषी पाये जायें उन को बर्खास्त किया जाये। अगर अल्पसंख्यकों की बात मैं यहां नहीं कहूंगा तो फिर कहां कहूंगा। मेरा अपना निवेदन आप से है कि इस तरह की घटानाओं से यह जाहिर होता है कि यहां पर जनतन्त्र नहीं है, हिटलर का दरबार है। अगर इस तरह से पुलिस का जुल्म बढ़ता चला गया तो हमारा यह जनतन्त्र गड्ढे में चला जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि :

खुशी से चेहरा कोई दर्कसन्दा नहीं मिलता
जवां बेकार फिरते हैं, कोई धन्धा नहीं मिलता
मरने को जो तैयार हो उसे फन्दा नहीं मिलता
मर भी जाये तो कफन के वास्ते चन्दा नहीं मिलता।
कहां से खैर हो, दौरे जफा बदले तो क्या बदले?
वही कल हैं वही पुर्जे, फिजा बदले तो क्या बदले?
वही हिकमत, वही नुस्खा, दवा बदले तो क्या बदले?
वही मकसद वही तेवर, अदा बदले तो क्या बदले?
हमें नफरत न थी अंग्रेज की कोम, सूरत से
हमें जो कुछ भी नफरत थी उस के अन्दाजे हुकूमत से
आज अपनों की हुकूमत रहमत हो नहीं सकती

[श्री शिवचरण लाल]

तो अपनों की सूरत से भी मोहब्बत हो नहीं सकती।

आखीर में मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब हमारे यहां के लोगों से अनशन छुड़वाया गया है तब जो भी मांगें मैंने रक्खी हैं उन को पूरा कर के उन लोगों को मुआवजा दिया जाये। उन के जो मकान नष्ट-भ्रष्ट किये गये हैं वह उन को फिर से दिये जायें और जो उन की सम्पत्ति लूटी गई है वह उन्हें वापस की जाये। मैं ने तोतलपुर और सोफीपुर की पूरी घटना आप के सामने रक्खी है। मैं चाहता हूं कि इस पर आप तुरन्त गौर करें और गौर करके सम्बन्धित अधिकारियों का तबादला करें। जिन्होंने अत्याचार किये हैं निहत्थी जनता पर, छात्रों पर, महिलाओं पर उनका आप तबादला करें और उनको आप सजा दें।

श्री शिव नारायण : ट्यूबवैल्ज के बारे में जो डिमांड की गई है वह बड़ी जैनुइन डिमांड है। जो उन पर टैक्स बढ़ाया गया है, वह क्यों बढ़ाया गया है? क्यों उनके लिए बिजली महंगी की गई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस के बारे में पोजिशन को क्लीयर करें।

श्री कृष्ण चन्द पन्त : हरिजनों पर जो भी अत्याचार हुए हैं और चाहे कहीं भी हुए हों, चाहे उत्तर प्रदेश में हुए हों या इस देश के किसी और कोने में, उसके खिलाफ इस सदन में जरूर आवाज उठनी चाहिये और मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर यहां इशारा किया है, इसको सामने लाए हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले में जितना रोष उनको है, उससे कम रोष हमको नहीं है और मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस में कोई चीज निकली, ज्यादती वाली बात निकली तो जरूर वाजिब सम्बन्धित लोगों को दंड दिया जाएगा। मैं इसके मैरिट्स में नहीं जा सकता हूं क्योंकि आगरा के मामले में और गोंडे के मामले में ज्यूडिशल इनक्वायरी चल रही है। इस वास्ते मैं यह नहीं चाहूंगा कि मैं इसके मेरिट्स पर कुछ कहूं और न ही माननीय सदस्य मुझे कुछ कहने के लिए विवश करेंगे। हम लोगों को पहले इस बात का पता लगाना है कि वास्तविकता क्या है और वास्तविकता मालूम होने पर जो दोषी हैं उनको दंड देना सरकार का कर्त्तव्य होगा।

बनर्जी साहब ने एक प्रश्न पूछा था। वह इस वक्त यहां से चले गए हैं। उसके बारे में कुछ सूचना मेरे पास आई है और उसको आपकी आज्ञा से मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। अभी हाल ही में पांच लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए जिनकी तनख्वाह 509 रुपये महीने तक है, चार करोड़ सालाना खर्च करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके महंगई भत्ते की दर को केन्द्रीय कर्मचारियों की दर के बराबर लाया है। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि पिछले तीन बरसों में पांच ऐसी बढ़ोतरियां महंगाई भत्ते में उत्तर प्रदेश की सरकार ने की हैं।

अब मैं आप की इजाजत से श्री शिव नारायण ने जो प्रश्न उठाया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरी हमेशा यह कोशिश रहती है कि जहां तक हो सके जानकारी सदन को मैं दूं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी मैं सदन को देने की चेष्टा करता हूं। लेकिन अगर दस पंद्रह मिनट का समय हो और मुझ से आशा की जाए कि मैं सारी बहस का सिलसिले बार उत्तर दूं तो यह बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर मुद्दे पर मैं पूरी तफ्सील से नहीं जा सकता

हूं। यह एक ऐसा मामला है कि जिस को मैं पूरी तरह से समझाऊं तो काफी समय लग जाएगा। मेरे पास यह तीन पेज का नोट आया है। मैं सारे नोट को नहीं पढ़ता हूं। इस की कुछ मुख्य बातें ही मैं आपके सामने रखता हूं। पहले ऐसा होता था कि एक मिनिमम रेट होता था प्राइवेट पम्प्स के लिए और वह नब्बे रुपये हर हार्स पावर के पीछे होता था और इस मिनिमम गारंटी के ऊपर अगर कोई बिजली लेता था तो उसको अधिक पैसा देना पड़ता था। अब सारे प्रदेश में एक ही दर लाग् कर दी गई है और उस में फिक्स्ड जार्ज है ए सी और डी सी के लिए। अब 96 रुपये कर दिया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि 12.32 पैसे फी यूनिट लगते हैं अगर ट्यूबवैल या पम्पिंग सैट को तीन हजार घंटे सालाना चलाया जाए। अगर कम चलाया जाएगा तो दर अधिक हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस कोशिश में है कि जहां भी प्राइवेट ट्यूबवैल लगे हुए हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो और जब उनका प्रयोग ज्यादा होगा तो यह जो दर इस वक्त ज्यादा लगती है वह दर अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर तीन हजार घंटे प्रयोग नहीं किया जाएगा तो आज जितने दाम लगते हैं बिजली के करीब करीब उतने ही तब लगेंगे.....

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : (बागपत) : आप गलत इनफर्मेशन दे रहे हैं.....

श्री शिव नारायण : आप ने आठ रुपये फी हार्स पावर बटाया है। इसका मतलब यह हुआ कि साढ़े सात हार्स पावर पर आपने साठ रुपये बढ़ा दिये हैं। पहले का जो एग्रीमेंट था वह साढ़े सात हार्स पावर पर 675 रुपये का था.....

SHRI K. C. PANT: May I explain it in a nutshell? Previously there was a minimum rate. Now the minimum has been raised. If there is a better utilisation of the private tube-wells, the rate would be about the same. (*Interruption*).

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : आप गलत इनफर्मेशन दे रहे हैं.....

श्री कृष्ण चन्द पन्त : इस मसले को आप सलाहकार समिति में भी उठा सकते हैं.....

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : पार्लियामैंट में आप गलत इनफर्मेशन दे रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द पन्त : बड़ी मुश्किल है। सूचना जो मेरे पास आई है वही तो मैं दे सकता हूं। आपको अगर संतोष नहीं होता है तो आप मुझे पत्र लिखें और मैं जानकारी प्राप्त करुंगा। सलाहकार समिति में भी आप इसको लायें और जानकारी प्राप्त कर लें।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : यहीं पर आप गलत इनफर्मेशन दे रहे हैं और मैं आपको बताता हूं कि....

श्री कृष्ण चन्द पन्त : आप क्या बता सकते हैं कि कौन सी गलत बात है?

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री कृष्ण चन्द पन्त : एक घंटा और दे दें तो एक घंटा और बहस कर लीजिये।

श्री शारदा नन्द : बिहार बजट पर बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि केन्द्र ने यह तय किया है कि बिहार के किसानों पर और हिन्दुस्तान भर के किसानों पर बिजली की दर बढ़ाई नहीं जाएगी और बिहार के किसानों से बारह पैसे यूनिट से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह चीज बिहार में ही लागू होगी या उत्तर प्रदेश में भी इसको आप लागू करेंगे।

MR. CHAIRMAN: He cannot say now. He requires notice for all these questions. The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the clauses to the vote.

The question is:

"That clauses 2 and 3 and the Schedule stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. C. PANT: I move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.48 HRS.

STATUTORY RESOLUTION *RE*: CONTINUANCE OF PRESIDENT'S PROCLAMATION IN RESPECT OF UTTAR PRADESH

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं: कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा को दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की बाद की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित 25 सितम्बर, 1968 से छः मास की अग्रेतर अवधि के लिए निरंतर लागू रखने का अनुमोदन करती है"।

सभापति महोदय, यह सचमुच में ही हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात है कि इस तरह की चीज हम को लानी पड़ रही है और वह भी इस देश के सब से बड़े प्रदेश के लिए। लेकिन वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिन से विवश हो कर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा और उसकी अवधि को बढ़ाना पड़ा? इन परिस्थितियों से यह माननीय सदन अच्छी तरह से अवगत है और मुझे उसके विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस तरह से वहां पर पिछले आम चुनाव के बाद राजनीतिक घटनायें और दुर्घटनायें हुई और उसके बाद किस तरह से राजनीतिक अवसरवादिता का वहां पर खेल खेला गया, इस सब से माननीय सदस्य अवगत हैं। जब यह देखा गया कि संविधान के अन्तर्गत वहां का प्रशासन चलना असम्भव हो गया है तब राज्यपाल ने इस बात की सिफारिश राष्ट्रपति महोदय से की कि वहां का जो शासन है उसे खत्म करके राष्ट्रपति जी का शासन वहां लागू कर दिया जाए तथा मध्यावधि चुनाव कराये जायें। इस सिफारिश के पहले यह आशा की जाती थी कि अगर वहां पर विधान सभा को थोड़ा स्थगित कर दिया जाए और उसके बाद इस बात का प्रयत्न किया जाए कि किसी तरह से वहां जिम्मेदार सरकार कायम हो सके तो की जाए और इस तरह की सिफारिश भी राज्यपाल महोदय की तरफ से की गई थी। हम लोगों के लिए—और मैं समझता हूं कि सदन के सब माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे—यह दुख की बात है कि वहां पर इस तरह की कोई जिम्मेदार सरकार नहीं बन सकी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : इस का मौका ही नहीं दिया गया।